गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की स्थगित बैठक दिनांक 26.06.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.06.2019 की बैठक में पद क्रमांक–05 के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2019 एवं 25.06.2019 को स्थगित करते हुए उक्त स्थगित बैठक दिनांक 26.06.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
8.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
10.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
11.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
12.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 एल.पी. पटैरिया

02 प्रो0 एम.के. सिंह

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **शैक्षणिक पदों हेतु जारी विज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न विषयों के प्राप्त आवेदनों के संवीक्षण एवं साक्षात्कार के अंको के निर्धारण करने के संबंध में विचार करना।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शैक्षणिक पदों हेतु न्यूनतम अर्हता से संबंधित विनियम 2018 एवं AICTE द्वारा जारी विनियम 2019 का अवलोकन स्थायी समिति द्वारा किया गया तथा इन विनियमों में वर्णित विभिन्न सुसंगत अंशो पर विचार किया गया। विचारोपरान्त निम्नानुसार अनुशंसा स्थायी समिति द्वारा की गई :–

01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम में वर्णित तालिका 3A में प्रदत्त मापदण्डों (Criteria) को केवल संवीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए अर्ह उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची

(Merit) बनाये जाने हेतु उपयोग में लाया जाये तथा विनियम में वर्णित अंशों के अनुसार इसके अंको को साक्षात्कार के अंकों में शामिल नहीं किया जाये।

02. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की संख्या, 01 पद के विरूद्ध अधिकतम 25 उम्मीदवारों तक सीमित रखी जाये। तथापि, यदि 25वें क्रम पर आने वाले अभ्यर्थियों में, यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हो तो, इन सभी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाये।

03. साक्षातकार हेतु अधिकतम 100 अंकों का प्रावधान किया जाये। उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के दौरान चयन समिति द्वारा प्रदत्त अंकों के आधार पर किया जाये।

04. जो विषय AICTE के विनियमों से संचालित होते है, उन विषयों में AICTE विनियम 2019 में प्रदत्त मापदण्डों के आधार पर अर्ह एवं अनर्ह उम्मीदवारों का निर्धारण किया जाये तथा ऐसे विषयों के समस्त अर्ह उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाये।

विषय क्र. 02 पंडित मदन मोहन मालवीय, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एण्ड टीचिंग, (पी.एम.एम.एम.एन. एम.टी.टी.) के तहत एम.एच.आर.डी. तथा विश्वविद्यालय के बीच हुए MoU की सूचना एवं अनुमोदन संबंधित।

स्थायी समिति द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एण्ड टीचिंग, (पी.एम.एम.एम.एन.एम.टी.टी.) के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं मानव संसाध विकास मंत्रालय के बीच किये गये MoU की सूचना ग्रहण की तथा कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**